स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड

दिनांकः– 04 मई,2015

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,
कल्याणपुर,
कानपुर (उ0प्र0) ।

Sh John
5/10
08/5

महोदय,

कृपया लोक एवं जनहित में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत निम्न सूचना / अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिस हेतु अंकन रू0 10.00 का भुगतान भारतीय पोस्टल आर्डर नं0 25 F 718743 के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है:–

वांछित सूचना / अभिलेखः–

आपके विभाग द्वारा उत्तराखंड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, देहरादून के आधीन सहकारी / सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के लिये अन्य पदो के साथ निर्माण रसायनज्ञ पदों हेतु वर्ष 2014 में लिखित परीक्षा ली थी । इस कम में निर्माण रसायनज्ञ पदों हेतु लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण निम्न अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित छाया प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

क0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	रोल नं0
1–	श्री सुनील चन्द्र विष्ट	MC/168
2–	श्री आशीष कुमार	MC/062
3–	श्री चन्द्रजीत	MC/158
4–	श्री विजय कुमार पाण्डे	MC/066
5–	श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	MC/095
6–	श्री मोहित शर्मा	MC/026
7–	श्री अतुल कुमार चौहान	MC/057
8–	श्री सन्दीप कुमार शुक्ला	MC/127
9–	श्री राहुल देव सिंह	MC/097
10–	श्री अरूण कुमार शुक्ला	MC/155
11–	श्री आशुतोष अग्निहोत्री	MC/113

नोटः– पूर्व में भी आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत मेरी उत्तर पुस्तिका की छाया प्रतियाँ अपने पत्र दिनांक 27–03–2015 के द्वारा उपलब्ध करायी थी, लेकिन वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराने से पूर्व आप द्वारा अनावश्यक रूप से मेरा प्रार्थनापत्र तीन–तीन विभागों में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अर्न्तगत स्थानान्तरित किया गया, जो सूचना का अधिकार अधि0 का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि उत्तरपुस्तिकाऐं आपके ही विभाग में होने के बावजूद मेरा प्रार्थनापत्र अन्य विभागों में अनावश्यक रूप से स्थानान्तरित किया जाता रहा । कृपया इस बार समान पुनरावृति न करने का कष्ट करें ।

Deposited vide TR No 320985 dt. 18.5.15 for Rs 10/- only
18/5

भवदीय

संलग्नकः–यथोपरि ।

(आशुतोष अस्थाना)
द्वारा अभय स्वरूप
अधिवक्ता, संजय कालोनी,
वार्ड नं0–7, बाजपुर
जनपद–उधम सिंह नगर
(उत्तराखण्ड)

5.21
11/5/15

RTI MATTER/SPEED POST

सं. 25(52)/2015/RTI/2

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर

ISO 9001-- 2008 प्रमाणित संस्थान

उपभोक्ता मामले मंत्रालय वितरण सार्वजनिक एवं खाद्य ,

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

भारत सरकार

दि. 05.06.2015

फोन: 0512-2570542, 543

फैक्स: 0512-2570247

ई-मेल: nsikanpur@nic.in

जारी
संख्या -- 270 --
दिनांक -- 9/6/15 --

सेवा में,

श्रीआशुतोष अस्थाना,
द्वारा श्री अभय स्वरूप,
अधिवक्ता, संजय कॉलोनी, वार्ड नं.-7, बाजपुर,
जनपद-ऊधमसिंहनगर (उत्तराखंड)

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

श्री आशुतोष अस्थाना ने पत्र दि. 04.05.2015 के द्वारा 11 अन्य अभ्यर्थियों की सत्यापित उत्तर पुस्तिका चाही है जो उपरोक्त परीक्षा में शामिल हुये थे।

यह विषय तृतीय पक्ष की जानकारी से संबंधित है। इस संदर्भ में इसी प्रकार के मामले में एक निर्णय सीआईसी, नई दिल्ली द्वारा दि. 21.01.15 को लिया गया था जो कि वेबसाइट पर F.No. CIC/SA/A/2014/000135 में उपलब्ध है। अपने आदेश में आयोग ने निर्णय दिया था कि –

> "The Candidates with regard to his/her own answer sheet can obtain the copy of the same as a matter of right, but with regard to the answer sheet of third party, unless the candidate is able to show that large public interest in involved, the same cannot be furnished unless the candidate from whom it is sought for permits the same".

आपके उपरोक्त पत्र द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण प्रदान करना संभव नहीं है परतु यदि इसमें कई लोगों का हित निहित है तो कृपया स्पष्ट करें।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं :-

श्री नरेन्द्र मोहन
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
कानपुर - 208017

भवदीय,

5/6/15

(राकेश शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केंद्रीय जनसूचना अधिकारी